FIROZABAD POLICE
सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

प्रेस नोट थाना शिकोहाबाद दिनांक 11-03-2026 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अर्जुन पुत्र रामखिलाडी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार ।

- **अभियुक्त की निशानदेही पर तमंचा बरामदगी के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर किया गया था फायर ।**
- **अभियुक्त अर्जुन पुत्र रामखिलाडी निवासी ग्राम विदरखा थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद पुलिस मुठभेड के दौरान पैर में गोली लगने से हुआ घायल ।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस एवं 02 जिंदा कारतूस बरामद ।**
- **घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल में कराया गया भर्ती ।**

दिनांक 10-03-2026 को थाना शिकोहाबाद पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अर्जुन वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया और भांडरी नहर पुल के पास तमंचा दिखाकर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। उसी दौरान स्थानीय लोगों द्वारा अभियुक्त को पकड लिया एवं बच्ची के परिजनों व पुलिस को सूचना दी गयी । थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मौके से हिरासत में लेकर वादी की तहरीर के आधार पर थाना शिकोहाबाद पर मु0अ0सं0 167/2026 धारा 137(2)/65(2) बीएनएस व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त से गहनता से पुछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा तमंचा के बल पर गलत काम करना बताया। जिसे अभियुक्त द्वारा भांडरी नहर पुल के पास झाड़ियों में छिपा दिया था।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र रामखिलाडी निवासी ग्राम विदरखा थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद को लेकर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा की बरामदगी हेतु थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11-03-2026 को समय करीब रात्रि 1:00 बजे घटनास्थल भांडरी नहर पुल के पास आए। अभियुक्त अर्जुन द्वारा काफी देर झाड़ियों में इधर उधर तलाश करने के दौरान अचानक झाड़ी से एक तमंचा 315 बोर निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिसमें पुलिस पार्टी बाल बाल बची। अभियुक्त अर्जुन द्वारा पुनः फायर करने का प्रयास किया गया जिसे रोकने के लिए पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त अर्जुन के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक

तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस व दो जिंदा कारतूस बरामद किये गये। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद भेजा गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम-पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्तः-

1. अर्जुन पुत्र रामखिलाडी निवासी ग्राम विदरखा थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरणः-

01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 02 जिंदा कारतूस।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 167/2026 धारा 137(2)/65(2) बीएनएस व 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 मनमोहन शर्मा थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 राजीव गौतम थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 रोहित कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
5. उ0नि0 फैशलखान थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
6. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
7. उ0नि0 सोनू कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
8. उ०नि ० ऋषभ थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
9. हे0का0 101 उदयप्रताप सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।
10. का0 1445 अभिषेक कुमार थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।